

न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, जयपुर।

अपील संख्या:-24/2016(जीसीएमएस नम्बर 2016/00099)

1. श्रीमती सुमित्रा पत्नी बाबूलाल जाति जाट निवासी इसरोता तहसील कटूमर हाल वासी 60 फुट रोड आजाद नगर मूर्ति मोहल्ला शहर तहसील व जिला अलवर, राजस्थान—मृतक

- 1/1. बाबूलाल पति सुमित्रा देवी,
1/2. जितेन्द्र कुमार पुत्र सुमित्रा देवी,
1/3. गीता पुत्री सुत्रिता देवी जाति जाट निवासी इसरोता तहसील कटूमर हाल वासी 60 फुट रोड आजाद नगर मूर्ति मोहल्ला शहर तहसील व जिला अलवर, राजस्थान
—अपीलान्ट

बनाम

1. मोहनसिंह पुत्र चिरमोली जाति जाट निवासी इसरोता तहसील कटूमर जिला अलवर, राजस्थान।
—रेस्पोडेन्ट

उपस्थिति:-

1. श्री उमाशंकर खण्डेलवाल एडवोकेट अपीलार्थी की ओर से
2. श्री मूलचन्द चौधरी एडवोकेट रेस्पोडेन्ट की ओर से

निर्णय

दिनांक 30.05.2024

अपीलार्थी द्वारा यह अपील अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कटूमर जिला अलवर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 18.06.2015 से असंतुष्ट होकर राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 76 के तहत पेश की गई।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने अपील के तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया है कि अपीलान्ट के कब्जे काश्त की खातेदारी की आराजी खसरा नम्बर 198 का 1/2 हिस्सा, खसरा नम्बर 427 व 428 का 1/12 हिस्सा, खसरा नम्बर 195 का 1/24 हिस्सा, खसरा नम्बर 279 में 1/18 हिस्सा वाके ग्राम इसरोता तहसील कटूमर में स्थित है। जिस आराजी का बैयनामा गलत रूप से खिलाफ कानून महेन्द्र सिंह पुत्र चिरमोली जाट निवासी इसरोता ने अपीलान्ट का मुख्याराम की हैसियत से दिनांक 16.05.2011 को उप पंजीयक कटूमर के यहाँ तहरीर कराकर तस्दीक करा लिया, जो अवैध एवं कानून के विरुद्ध है तथा इस अवैध बैयनामा के तहत पटवारी हल्का ने दिनांक 18.05.2011 को नामान्तरकरण भरा, दिनांक 19.05.2011 को भू अभिलेख निरीक्षक ने मिलान किया तथा ग्राम पंचायत ने बिना किसी जाँच के मिल्लत से नामान्तरकरण संख्या 896 तस्दीक कर दिया जिस नामान्तरकरण के विरुद्ध अपीलान्ट ने अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कटूमर के यहाँ अपील पेश की। जो अपील उक्त न्यायालय ने बिना सुने गलत रूप से दिनांक 18.06.2015 को खारिज कर दी, जो आदेश विधि विरुद्ध होने से निरस्तनीय है।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट को बिना सुने राजस्व अभियान कैम्प के दौरान मनमाने तारीके से खिलाफ कानून अपीलाधीन निर्णय पारित किया है तथा अपीलान्ट के वकील

P.T.O.
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

(2)

की उपस्थिति गलत दर्ज की है। दिनांक 18.06.2015 को अधीनस्थ न्यायालय के पीठासीन अधिकारी राजस्व कैम्प में व्यस्त थे तथा न्यायालय में कोई कार्यवाही नहीं हुई जिससे स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय ने मनमाने तौर पर खिलाफ कानून अपीलान्तिन निर्णय पारित किया है, जो निरस्तनीय है। उन्होंने आगे कथन किया है कि अपीलान्तिन से महेन्द्र सिंह पुत्र चिरमोली जाट निवासी इसरोता ने धोखा, फरेब एवं बिना अपीलान्तिन की जानकारी के मुख्ख्यारनामा सब रजिस्ट्रार अलवर के यहाँ तस्दीक कराया था जिसकी जानकारी होते ही अपीलान्तिन ने दिनांक 16.05.2011 को मुख्ख्यारनामा निरस्त कराकर सूचना महेन्द्रसिंह को जरिये मोबाईल फोन से दे दी थी, तो उसने आनन-फानन में अवैध मुख्ख्यारनामा के आधार पर उसी दिन अपने सगे भाई रेस्पोडेन्ट के हक में बयनामा तहरीर करवाकर तस्दीक करवा लिया। उन्होंने आगे कथन किया है कि अपीलान्तिन ने उक्त मुख्ख्यारनामा एवं बयनामा निरस्त कराने का वाद न्यायालय अतिरिक्त जिला जज साहब लक्ष्मणगढ़ के यहाँ पेश किया था जिसमें न्यायालय द्वारा अपना निर्णय दिनांक 10.02.2016 को बयनामा निरस्त कर दिया गया है जिसकी अपील माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है। ऐसी स्थिति में मुख्ख्यारनामा व बयनामा विवादास्पद है तो नामान्तरकरण तस्दीक नहीं किया जाना चाहिये था एवं नामान्तरकरण की कार्यवाही स्थगित की जानी चाहिये थी।

अधिवक्ता अपीलान्तिन ने कथन किया है कि अपीलान्तिन की पुत्री गीता देवी ने फर्जी एवं धोखे से कराए गये मुख्ख्यारनामा की बाबत न्यायालय मुख्ख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अलवर के यहाँ कार्यवाही अन्तर्गत धारा 420, 467, 468, 471, 120बी भारतीय दण्ड संहिता के तहत कर रखी है जिसमें न्यायालय में रेस्पोडेन्ट एवं अन्य के विरुद्ध उक्त अपराधों में प्रसंज्ञान लिया हुआ है। उन्होंने आगे कथन किया है कि अपीलान्तिन की आराजी का जो बयनामा तस्दीक हुआ है उसमें सुमित्रा द्वारा कब्जा देना वर्णित किया गया है जो कानूनन संभव नहीं है। ऐसी स्थिति में कब्जे के अभाव में नामान्तरकरण तस्दीक नहीं हो सकता था किन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने इस बिन्दू पर भी बिना गौर किये ही अपीलान्तिन आदेश दिनांक 18.06.2015 पारित किया है, जो विधि विरुद्ध होने से निरस्तनीय है। अतः अपीलान्तिन की अपील स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कटूमर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 18.06.2015 को निरस्त किया जाकर नामान्तरकरण संख्या 896 वाके ग्राम ईसरोता तहसील कटूमर खारिज किये जाने की कृपा करें।

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने कथन किया है कि आराजी खसरा नम्बर 198, 427, 428, 195, 279 वाके ग्राम इसरोता तहसील कटूमर में स्थित है जो अपीलान्तिन के कब्जे काशत की आराजी नहीं है। अपीलान्तिन ग्राम इसरोता में कभी नहीं रही बल्कि अलवर में निवास करती थी। महेन्द्रसिंह उक्त आराजीयात के लिए मुख्ख्यारनामा नियुक्त था जिसने उक्त आराजीयात के बाबत बयनामा रेस्पोडेन्ट के हक में कराया है तथा पैसा अपीलार्थीया व उसके पति बाबूलाल को दिया गया है तथा मौके पर कब्जा खरीददार रेस्पोडेन्ट ने ले लिया है जिसके हक में ग्राम पंचायत द्वारा दिनांक 20.5.2011 को नामान्तरकरण को सही रूप से दर्ज व तस्दीक किया गया है।

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने कथन किया है कि महेन्द्र सिंह के हक में दिनांक 10.05.2011 को राजीखुशी अपीलान्तिन द्वारा उप पंजीयक कार्यालय

P.T.O.

अतिरिक्त संतानिया
अलवर

(3)

अलवर में मुख्यारनामा पंजीबद्ध कराया है जिसके आधार पर महेन्द्रसिंह ने रेस्पोडेन्ट के हक में बैयनामा कराया गया है तथा रेस्पोडेन्ट ने जरिये बैय देकर मौके पर कब्जा ले लिया तथा रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को महेन्द्रसिंह को मुख्यारनाम निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कोई जानकारी नहीं रही है। उन्होंने आगे कथन किया है कि रेस्पोडेन्ट भूमि विवादग्रस्त का सदभावी क्रेता है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण में उभयपक्ष को सुनवाई का अवसर देने के उपरान्त ही अपीलाधीन आदेश दिनांक 18.06.2015 पारित किया गया है जो विधि सम्मत होने से अपील अपीलान्त खारिज फरमाई जावें।

हमने अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया जिससे विदित है कि अपीलार्थी द्वारा भूमि विवादग्रस्त के सम्बन्ध में महेन्द्रसिंह को मुख्यारनाम नियुक्त कर उक्त मुख्यारनामा दिनांक 10.05.2011 को उप पंजीयक अलवर द्वितीय के समक्ष पंजीबद्ध कराया गया है। उक्त पंजीकृत मुख्यारनामा के सम्बन्ध में मुख्यारनामा निरस्तीकरण दिनांक 16.05.2011 को उप पंजीयक अलवर के यहाँ पंजीबद्ध करवाया गया है। साथ दिनांक 16.05.2011 को ही भूमि विवादग्रस्त बैचान जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र मुख्यारनाम महेन्द्र सिंह द्वारा रेस्पोडेन्ट मोहन सिंह को किया गया है जिसके आधार पर नामान्तरकरण संख्या 897 वाके ग्राम इसरोता दिनांक 20.05.2011 को सरपंच ग्राम पंचायत द्वारा तस्दीक किया गया है। चूँकि प्रकरण में जिस बैयनामा के आधार पर उक्त नामान्तरकरण तस्दीक किया गया है, वह बैयनामा अतिरिक्त जिला जज लक्ष्मणगढ जिला अलवर द्वारा निरस्त किया जा चुका है जिसकी अपील माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है जिसमें माननीय उच्च न्यायालय द्वारा प्रकरण में निम्न आदेश जारी किये गये हैं कि " In the meantime, parties shall maintain status qua with regard to property in dispute and shall not either alienate, transfer or otherwise create any charge thereon in favour of any third party." ऐसी स्थिति में प्रकरण में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा जारी निर्देशों के तहत ही अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अग्रिम कार्यवाही की जानी समीचीन है। उपरोक्त तथ्यों के मद्देनजर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को रिमाण्ड किया जाना न्यायोचित होगा।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कठूमर जिला अलवर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 18.06.2015 को निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कठूमर को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि प्रकरण में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा जारी निर्देशों की अनुपालना में अग्रिम कार्यवाही सुनिश्चित करें।

(डॉ० प्रवीण कुमार)

अति.संभागीय आयुक्त,
जयपुर।

निर्णय आज दिनांक 30.05.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

अति.संभागीय आयुक्त,
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त,
जयपुर।